न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील / 115 / 2022

अपीलांट भरत कुमार सुखाड़िया पुत्र चौथमल सुखाड़िया
निवासी जूनी वास समदड़ी जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर

आदेश

दिनांक 21.10.2022

अपीलार्थी भरत कुमार सुखाड़िया पुत्र चौथमल सुखाड़िया निवासी जूनी वास समदड़ी जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 13.10.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर / पंजीबद्ध डाक / ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के सलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 533915 दिनांक 28.08.2022 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित समयावधि में टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्समय अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रक्रियाधीन प्रक्रम में होने से नहीं दी गई थी और इस संबंध में अपीलार्थी को कार्यालय में पत्र क्रमांक 475 दिनांक 29.09.2022 द्वारा अवगत करवा दिया गया है।

हमने प्रस्तुत अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जारी पत्राचार का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई है। अपीलार्थी द्वारा वांछित आवंटन सूचना की प्रकिया पूर्ण हो गई हो तो अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह [illegible] अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्र[illegible] पत्र से वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध [illegible] हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रे[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:32:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर